

**मंडल की 22 जनवरी 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय**

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	228	मंडल की 17 दिसंबर, 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 17.12.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	229	मंडल की 26 दिसंबर, 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 26.12.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
3.	230	जहाजों की उत्पादकता और फेरा समय में सुधार - समीक्षा.	विचार-विमर्श आस्थगित.	यातायात
4.	231	लॉट सं. सीसी - 73 में शामिल माल के लिए माफ करने संबंधी- प्रस्ताव.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
5.	232	मॅलेट बंदर पुलिस चौकी का स्थानांतरण.	अनुमोदन प्रदान किया जाता है -  (1) टिप्पणी के परिच्छेद 5 और 6 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को तथा प्रति वर्ष 1 रुपया प्रभार लगाने को, बशर्ते कि सरकारी अनुमोदन मिले.  (2) वडाला पुलिस स्टेशन को तुरन्त वैकल्पिक स्थान आबंटित करने तथा नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के बारे में आयुक्त कार्यालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके बिलिंग प्रारंभ करने को.	संपदा
6.	233	महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत निदेश के अनुसार दरमानों के सुधार/समीक्षा के लिए प्रस्ताव.	चर्चा की टिप्पणी में लाये गये संशोधनों के साथ टिप्पणी के परिच्छेद 13 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
7.	234	निविदा सं. ई.125/2017, ई.148/2017 तथा ई.148ए/2017 - ईविलिन हाऊस, अपोलो बंदर, कुलाबा का प्रचालन एवं प्रबंधन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
8.	235	मंडल की 13 नवंबर, 2018 को हुई विशेष बैठक तथा मंडल की 13 नवंबर, 2018 तथा 20 नवंबर 2018 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट.	मंडल की 13.11.2018 को हुई विशेष बैठक तथा मंडल की 13.11.2018 तथा 20.11.2018 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और इसे अभिलिखित किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
9.	236	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में द्वितीय श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	मानव संसाधन प्रभाग
10.	237	मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता, पदोन्नति) विनियम, 2010 - सहायक सतर्कता अधिकारी पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठनीय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक-I में यथा प्रस्तुत भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि, इसी की धारा 124(i) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन प्रभाग
11.	238	मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में मरीन अभियंता पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठनीय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक-I में यथा प्रस्तुत भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि इसी की धारा 124 (i) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन प्रभाग

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
12.	239	(i) अभियांत्रिकी, उपलब्धि तथा निर्माण (ईपीसी) संविदा आधार पर कान्होजी आंग्रे द्वीप, मुंबई पोर्ट में पर्यटन परियोजना का विकास. (ii) सरकारी निजी सहभाग पर कान्होजी आंग्रे द्वीप का पर्यटन स्थल के रूप में प्रबंधन, प्रचालन तथा रखरखाव. (iii) पर्यावरण संबंधी प्रभाव का निर्धारण तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यान्वित करने और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल / तटीय नियंत्रण क्षेत्र एवं पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (1) टिप्पणी के परिच्छेद 9 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, श्री. सुनील राणे, श्री. सुधाकर अपराज तथा श्री. केरसी पारेख के शामिलवाली समिति के गठन को. (3) समिति को एस एफ सी प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए अधिकृत करने को.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
13.	240	संविदा आधार पर सलाहकार (मरीन) की नियुक्ति.	चर्चा नोट में लाये नुसार सुधारित शर्तों पर संविदा आधार पर सलाहकार (मरीन) पद के लिए पुनः विज्ञापन देने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	मानव संसाधन प्रभाग
14.	241	मुंबई पोर्ट में पड़े रिक्त सिलेंडरों का निपटारा.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
15.	242	मुंबई के पूर्वी तट पर रो-पॅक्स प्राप्त करने तथा प्रचालित करने को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
16.	243	निविदा सं. ई.04/2019 - पूर्वी तटीय नगरभाग विकास परियोजनाओं के लिए 15 व्हि. डी के पास पार्किंग स्थान में पे एवं पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन. निविदा के पीक्यू मापदण्ड तथा सामान्य नियमों एवं शर्तों को अनुमोदन.	चर्चा नोट में यथाप्रदर्शित स्पष्टीकरण के साथ पठनीय टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
17.	244	निविदा सं. ई.121/2018 - मुंपोट्ट सम्पदा (फेज - II) - कॉटन डेपो में पे एवं पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन. निविदा के पीक्यू मापदण्ड और सामान्य नियमों एवं शर्तों को अनुमोदन.	चर्चा नोट में यथाप्रदर्शित स्पष्टीकरण के साथ पठनीय टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
18.	245	गोवंडी, मुंबई स्थित भूमि के तकनीकी औचित्य के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
19.	246	निविदा सं. ई.111/2018 - प्रवेश चॅनल इंदिरा गोदी के पश्चिमी इनर लॉक गेट के रोलर पथ में मरम्मत.	(1) टिप्पणी के परिच्छेद 6 (ए), (सी) और (डी) का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. (2) जहाँ तक टिप्पणी के परिच्छेद (बी) के प्रस्ताव का संबंध है, आपातकाल सकती तथा गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 30.9.2018 से 9.11.2018 तक की कट-ऑफ तिथि माफ करने को तथा मूल्य बोली खोलने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
20.	247	नयी कॉलोनी, नाडकर्णी पार्क, वडाला स्थित ईमारत सं. 1 से 6, 11, 14, 15, 17 से 21, 23 से 24 तथा 27 (17 ईमारतों) की आवश्यक मरम्मत.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
21.	248	(i) मुंपोट्ट सम्पदा (फेज - III) में पे एवं पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन.- निविदा मंगाने के लिए पीक्यू मापदण्ड, नियमों एवं शर्तों को अनुमोदन. (ii) जारी निविदा सं. 99/2016 (फेज - I) के ठेकेदार को अतिरिक्त पार्किंग क्षेत्र सौंपने हेतु अनुमोदन.	चर्चा नोट में यथाप्रदर्शित स्पष्टीकरण के साथ पठित टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
22.	249	वर्तमान बॅलार्ड पीअर घाटों (बीपीएस तथा बीपीएक्स) के आधारभूत सुविधा सुधार कार्य की परियोजना के लिए परामर्श कार्य. - आयआयटी मद्रास को कार्य देने के लिए बोर्ड की अभिपुष्टि.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
23.	250	पाँचवे तेल घाट के निर्माण के लिए सिविल कार्य - अधिक कार्य.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
24.	251	तेजस नगर कॉलोनी, वडाला में मल जल अभिक्रिया संयंत्र का निर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
25.	252	सरकारी निजी सहभाग पर 600 बिस्तरोवाला उच्च विशिष्टतायुक्त अस्पताल की स्थापना एवं साथ में मेडिकल कॉलेज विकसित करने और अस्पताल के और विस्तार का विकल्प. (निविदा सं. सीएमओ 14/2018-19).	टिप्पणी के परिच्छेद 9 के विस एवं मुलेअ के कार्यवृत्त के साथ पठित टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
26.	253	मुंपोट्ट भूमि पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य अभियांत्रिकी
27.	254	अरब सागर में मुंबई तट से दूर मूर्ति के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के लिए सुविधा की प्रतिष्ठापना.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री

C6/Pro 22 January 2019/actiontaken20190122